झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–202 वर्ष 2017

बासुदेव मंडल उर्फ बासुदेव महतो और अन्य .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

गालु राणा और अन्य .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए :– श्री पी0के0 मुखोपाध्याय, अधिवक्ता

श्री आशीष कुमार, अधिवक्ता,

श्री विशाल कु0, अधिवक्ता

श्री एस0के0 मूर्ति, अधिवक्ता"

उत्तरदाताओं के लिए :– कोई नहीं

06/10.10.2018 याचिकाकर्त्ता दिनांक 21.07.2016 के आदेश से व्यथित हैं जिसके द्वारा टाइटल सूट सं0–75/2009 में दायर किये गए सी0पी0सी0 के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

सी0पी0सी0 का आदेश XLIII नियम 1 (आर) सहपठित सी0पी0सी0 की धारा 104 के तहत, आक्षेपित आदेश दिनांक 21.07.2016 के खिलाफ अपील की जा सकती है और तद्नुसार इस रिट याचिका को पोषणीय नहीं माना जाता है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 21.07.2016 के आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की छूट याचिकाकर्त्ता को देने के साथ रिट याचिका वापस लने की अनुमति मांगी।

याचिकाकर्त्ता, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, सी0पी0सी0 के अंदेश XLIII नियम 1 (आर) के अधीन अपील कर सकते हैं, हालांकि अपीलीय न्यायालय हमेशा विचारण के चरण को ध्यान में रखेगा और क्या कार्रवाई का कारण जो वर्ष 2009 में उत्पन्न हुआ था, अभी भी है।

तत्काल रिट याचिका को उपरोक्त छूट के साथ खारिज कर दिया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)